भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1005
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

मिशन वात्सल्य योजना

1005. **श्री नीरज मौर्य:**
श्री लालजी वर्मा:
श्री बाबू सिंह कुशवाहाः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मिशन वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, साथ ही उक्त योजना के अंतर्गत जारी धन का राज्य-वार, विशेषकर से उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूँ और शाहजहाँपुर जिलों के साथ-साथ अंबेडकर नगर, जौनपुर और आंवला संसदीय क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त क्षेत्रों में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (सीडब्ल्यूपीसी) द्वारा चिन्हित बच्चों की संख्या के साथ-साथ उक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या कितनी है;

(घ) उक्त क्षेत्रों में उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उन लाभार्थियों को प्रदान की गई वित्तीय पुनर्वास सहायता का ब्यौरा क्या है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और बाल देखभाल संस्थानों से चले गए है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्र प्रायोजित योजना 'मिशन वात्सल्य' को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व निर्धारित लागत साझाकरण के आधार पर राज्य

और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है, जिसमें संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख सेवाएं दोनों शामिल हैं।

मिशन वात्सल्य यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएं/कार्यक्रम बनाते समय बच्चों के सर्वोत्तम हितों का हमेशा ध्यान रखा जाए। इसमें बच्चों के लिए संस्थागत देखरेख सेवाएं, गैर-संस्थागत देखरेख सेवाएं और आपातकालीन सहायता सेवाएं स्थापित करना शामिल है।

मिशन वात्सल्य योजना के दिशानिर्देशों में राज्य और जिला स्तर पर निगरानी तंत्र की परिकल्पना की गई है। इस योजना की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों में राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, राज्य स्तर पर राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति और जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति और बाल कल्याण समिति शामिल हैं। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को जिला स्तर पर नोडल प्राधिकारी के रूप में अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (धारा 109) के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

मिशन वात्सल्य योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को निधि जारी की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि का उत्तर प्रदेश राज्य सहित राज्यवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) से (ङ): मिशन वात्सल्य योजना के दिशानिर्देशों में प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत संस्थागत एवं गैर-संस्थागत देखरेख सेवाओं की निगरानी करेगी। मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत गैर-संस्थागत देखरेख घटकों में प्रायोजन, पालक देखरेख और पश्चात देखरेख शामिल हैं।

दिनांक 31.03.2026 तक मिशन वात्सल्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में गैर-संस्थागत देखरेख के लिए कुल 15,000 बच्चों को सहायता प्रदान की गई है। जिलावार और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

अनुलग्नक

'मिशन वात्सल्य योजना' के संबंध में श्री नीरज मौर्य, श्री लालजी वर्मा और श्री बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1005 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मिशन वात्सल्य योजना के तहत जारी की गई निधि का उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी की गई राशि**
1	आंध्र प्रदेश	38.72
2	अरुणाचल प्रदेश	7.74
3	असम	29.61
4	बिहार	51.95
5	छत्तीसगढ़	28.79
6	गोवा	3.07
7	गुजरात	2.49
8	हरियाणा	7.85
9	हिमाचल प्रदेश	22.56
10	जम्मू एवं कश्मीर	33.79
11	झारखंड	31.64
12	कर्नाटक	45.48
13	केरल	13.80
14	मध्य प्रदेश	61.82
15	महाराष्ट्र	78.90
16	मणिपुर	34.36
17	मेघालय	42.75
18	मिजोरम	33.65
19	नागालैंड	25.66
20	ओडिशा	51.92
21	पंजाब	13.94
22	राजस्थान	30.43
23	सिक्किम	8.51
24	तमिलनाडु	89.14
25	तेलंगाना	27.26

26	त्रिपुरा	18.11
27	उत्तर प्रदेश	107.15
28	उत्तराखंड	20.14
29	पश्चिम बंगाल	47.50
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.60
31	चंडीगढ़	4.90
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2.89
33	दिल्ली	6.63
34	लक्षद्वीप	0.09
35	लद्दाख	3.20
36	पुद्दुचेरी	3.21
